/

महेश गोविंदजी त्रिवेदी बनाम.

बकुल मैगनल व्यास और ओआरएस। (2022 की सिविल अपील संख्या 7203) 12 अक्टूबर, 2022

/

[दिनेश माहेश्वरी और अनिरुद्ध बोस, जे. जे.]

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908-Or.VIII,r.6-A-प्रतिवादी द्वारा प्रतिवाद-दावा-बॉम्बे उच्च न्यायालय के नियम -आर. 95-प्रतिवादी-वादी द्वारा दायर विशिष्ट प्रदर्शन के लिए मुकदमा-अपीलकर्ता-प्रतिवादी द्वारा विलंबित रूप से दायर जवाबी दावे को रिकॉर्ड पर लेने के लिए प्रस्ताव की सूचना, एकल न्यायाधीश द्वारा अनुज्ञात -डिवीजन बेंच द्वारा अलग रखा गया आदेश-अपील पर अभिनिर्धारित किया गया:प्रक्रिया के नियमों का उद्देश्य पक्षकारों को उनके मामले के संचालन में दंडित करने के बजाय न्याय के उद्देश्य को कम करना है-प्रश्न प्रति-दावे को केवल इसलिए विचार से हटाया नहीं जा सकता था क्योंकि इसे लिखित बयान दाखिल करने के लंबे समय बाद प्रस्तुत किया गया था-तथ्यों पर, न ही Or.VIII की आवश्यकताओं पर,r.6-A या r।95 न ही नियमों के बारे में और न ही अशोक कुमार में प्रतिपादित और स्पष्ट किए गए सिद्धांतों के बारे में

/

/

कालरा बनाम विंग कमांडर। सुरेंद्र अग्निहोत्री और अन्य ने [2019] 17 के रूप में रिपोर्ट किया

एस. सी. आर. 214 विलंबित रूप से दायर जवाबी-दावे को रिकॉर्ड पर लेने के लिए अपीलार्थी की प्रार्थना पर एक प्रतिबंध के रूप में कार्य करता है, जो वास्तव में मुद्दों को तैयार करने से पहले दायर किया गया था-इसके अलावा, आदेश का प्रभाव dtd.26.02।21 अभिवचनों से संबंधित प्रक्रियात्मक पहलू पर उच्चतम विधि द्वारा पारित (वाद से संबंधित आनुषंगिक कार्यवाही के संबंध में) स्पष्ट रूप से यह रहा है कि अभिलेख पर प्रति-दावे के अस्तित्व को इस विधि द्वारा एक उचित परिपूर्ति के रूप में लिया गया था, और इस आदेश ने मौजूदा अभिवचनों को परेशान करने के लिए थोड़ी, बल्कि शून्य गुंजाइश छोड़ दी-साथ ही, इस आदेश में, सर्वोच्च विधि ने त्वरित कार्यवाही पर जोर दिया-उक्त आदेश के बाद प्रति-दावा दायर करने से संबंधित प्रश्न को फिर से खोलने का कोई कारण नहीं था-जब उक्त आदेश को खंड पीठ के समक्ष रखा गया था, तब भी उसने इसके उद्देश्य और अर्थ पर विचार नहीं किया, बल्कि वाद की कार्यवाही और प्रति-दावा दायर करने के प्रश्न पर इसके प्रभाव पर भी विचार नहीं किया।

/

/

/

/

565

566 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 16 एस. सी. आर.

कार्यवाही अंतर्गत उसका आदेश, जो पहले ही हो चुका था और जो प्रगति अंतर्गत था-खंड पीठ द्वारा पारित आदेश को दरकिनार कर दिया जाता है जबकि एकल न्यायाधीश के आदेश को बहाल कर दिया जाता है-दलीलें।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

अभिनिर्धारित किया :**1.1** दिनांक **1** के आदेश में, इस न्यायालय ने पक्षों द्वारा की गई दलीलों पर ध्यान दिया, जिसमें अपीलार्थी की अपनी अधिक उम्र को देखते हुए संपत्ति का निपटान करने की चिंता के साथ-साथ संभावित खरीदारों द्वारा मुकदमे के परिणाम का पालन करने का वचन भी शामिल है।संबंधित पक्षों के विद्वान वकील के साथ बातचीत करने के बाद, इस न्यायालय ने अपीलार्थी और संभावित खरीदारों द्वारा सहमत शर्तों को रेखांकित करते हुए आदेश पारित किया। इस न्यायालय ने वादी-प्रत्यर्थियों की ओर से अपीलार्थी के कानूनी उत्तराधिकारियों के बारे में बाद में संपत्ति में अधिकारों का दावा करने और अपीलार्थी की ओर से इस संबंध में जवाबी प्रस्तुतियों के बारे में व्यक्त की गई आशंका पर भी ध्यान दिया।इस प्रकार, प्रश्न संपत्ति में अधिकार, स्वामित्व और ब्याज को हस्तांतरित करने की अनुमति के लिए अपीलार्थी की प्रार्थना से संबंधित मामले का निपटारा करने के बाद, इस न्यायालय ने सभी पक्षों से अपेक्षा की कि वे मुकदमे के शीघ्र निपटारे में सहयोग करें जैसा कि पहले से ही उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा निर्देशित किया गया है।[पैरा **6**] **[578-ई-एच; 579-**ए]

/

/

/

/

1.2 प्रक्रिया के नियमों का उद्देश्य पक्षकारों को उनके मामले के संचालन में दंडित करने के बजाय न्याय के उद्देश्य को कम करना है।प्रश्न प्रतिदावे को विचार से केवल इसलिए नहीं हटाया जा सकता था क्योंकि इसे लिखित बयान दाखिल करने के लंबे समय बाद प्रस्तुत किया गया था।निर्विवाद

विरचित से, जवाबी दावा **07.09.2018** पर दायर किया गया था और उस तारीख तक, मुकदमे में मुद्दे नहीं बनाए गए थे।वास्तव में, मुद्दे केवल **05.12.2018** पर विरचित किए गए थे, उसी तारीख को जिस दिन इन कार्यवाही के पहले दौर में विद्वान एकल न्यायाधीश ने जवाबी-दावे को रिकॉर्ड से हटा दिया था क्योंकि इसकी प्रस्तुति के लिए कोई अनुमति/अनुमति नहीं मांगी गई थी।दिनांक **1** के आदेश के खिलाफ अपील में, खंड पीठ ने प्रतिवाद दायर करने की अनुमति मांगने के लिए आवश्यक आवेदन दायर करने की अनुमति दी, जबकि वादी-उत्तरदाताओं की प्रस्तुतियों पर ध्यान दिया कि वे इस आधार पर इस तरह के आवेदन पर आपत्ति नहीं उठाएंगे कि मुद्दे पहले ही विरचित किए जा चुके थे

/

/

/

और दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए गए थे; और खंड पीठ को उम्मीद थी कि विद्वान एकल न्यायाधीश इस तरह के आवेदन पर अपने गुण-दोष पर विचार करेगा।डिवीजन बेंच द्वारा इस प्रकार दी गई स्वतंत्रता के अनुसार, अपीलार्थी ने जवाबी दावे को रिकॉर्ड पर रखने की अनुमति के लिए आवेदन दायर किया और उसके समर्थन में एक विस्तृत शपथपत्र दायर किया जिसमें विशिष्ट कारणों का उल्लेख किया गया था जिसके लिए जवाबी दावा दायर करने की मांग की गई थी, जिसमें कार्यवाही की बहुलता से बचना भी शामिल था।अपीलार्थी ने इस तथ्य की ओर भी ध्यान दिलाया कि वह पहले संपत्ति के उत्तराधिकार से संबंधित विवाद में शामिल था, जिसे वर्ष **2017** में ही उसके पक्ष में सुलझा लिया गया था।विद्वान एकल न्यायाधीश ने दिनांक **1** का आदेश पारित करते समय अन्य पहलुओं पर अधिक विस्तार से नहीं बताया, लेकिन अपीलार्थी की प्रार्थना को स्वीकार करने का कारण बताया कि यह कार्यवाही की बहुलता से बच जाएगा; और वादी उत्तरदाताओं के लिए पूरी निष्पक्षता में, सीमा सहित अपने सभी बचाव को विशेष रूप से खुला रखा।दिनांक **1** का उक्त आदेश, भले ही अपीलार्थी द्वारा दायर आवेदन पर विचार करने के पहले ही दिन विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित किया गया हो, एक न्यायसंगत और उचित आदेश था जो मुकदमेबाजी की बहुलता से बचने के साथ-साथ कार्यवाही की उचित प्रगति के लिए अनुकूल था।डिवीजन बेंच द्वारा विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा इस प्रकार पारित आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई उचित कारण नहीं था।वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों की समग्रता में, न तो आदेश **VIII** नियम **6**-ए सी. पी. सी. या नियमों के नियम **95** की आवश्यकताएं और न ही अशोक कुमार कालरा में प्रतिपादित और स्पष्ट किए गए सिद्धांत, विलंबित रूप से दायर जवाबी दावे को रिकॉर्ड पर लेने के

लिए अपीलार्थी की प्रार्थना पर रोक के रूप में काम करते हैं, जो वास्तव में मुद्दों को तैयार करने से पहले दायर किया गया था।[पैरा **14,14.1**] **[589-**डी-एच**; 590-**ए-डी**]**

/

/

/

/

/

अशोक कुमार कालरा बनाम विंग कमांडर। सुरेंद्र अग्निहोत्री

और ओआरएस। (2020) 2 एससीसी 394:[2019] 17 एस. सी. आर. 214-पर निर्भर।

1.3 उपरोक्त के अलावा, कुछ अन्य कारण हैं, जिनके लिए खंड पीठ का आक्षेपित आदेश पूरी तरह से अनुचित है।दिनांक **26.02.2021** के आदेश में, इस न्यायालय ने पक्षों की दलीलों पर ध्यान देते हुए और यह सुनिश्चित करते हुए कि भले ही अपीलकर्ता शीघ्र कार्यवाही करे, त्वरित कार्यवाही का प्रावधान किया था।

/

/

/

अपना अधिकार, अधिकार और हित तीसरे पक्ष को हस्तांतरित करते हुए, ऐसे हस्तांतरणकर्ता आगे की दलीलें दायर करने की मांग नहीं करेंगे और प्रश्न मुकदमे की कार्यवाही से बाध्य रहेंगे।उस संदर्भ में, यह प्रावधान किया गया था कि प्रस्तावित खरीदारों को मुकदमे में शामिल किया जाएगा और उनका वचन पत्र भी दर्ज किया गया था कि वे अपीलार्थी द्वारा दायर लिखित बयान और जवाबी दावे को अपनाएंगे और आगे लिखित बयान या स्वतंत्र लिखित बयान दाखिल करने के लिए कोई अनुरोध नहीं करेंगे।इस न्यायालय ने आगे प्रावधान किया कि मुकदमा उस चरण से आगे बढ़ेगा जहां यह लंबित था और प्रस्तावित खरीदार स्वतंत्र साक्ष्य/दस्तावेज दाखिल करने के लिए कोई आवेदन नहीं करेंगे।[पैरा **15,15.1**] **[590-**ई-एच**]**

/

/

1.4 यह सच है, जैसा कि प्रत्यर्थियों की ओर से तर्क दिया गया है, कि इस न्यायालय के समक्ष उक्त एस. एल. पी. की विषय वस्तु अपीलार्थी के मुकदमे की संपत्ति को किसी तीसरे पक्ष को हस्तांतरित करने के प्रस्ताव की थी, न कि जवाबी दावा दायर करने की अनुमति के संबंध में, लेकिन केवल इसी कारण से इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश के सार और प्रभाव को कम नहीं किया गया है। यहां तक कि जब उक्त एस. एल. पी. की विषय वस्तु किसी तीसरे पक्ष को वाद संपत्ति हस्तांतरित करने के अपीलार्थी के प्रस्ताव से संबंधित है और यहां तक कि जब दिनांकित आदेश द्वारा प्रदान की गई व्यवस्था अनिवार्य रूप से प्रतिवादी-अपीलार्थी और संभावित हस्तांतरणियों से संबंधित थी, तब भी मामले का तथ्य यह है कि उक्त आदेश वादी-प्रत्यर्थियों की उपस्थिति में पारित किया गया था, जिनकी अपीलार्थी के कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा भविष्य में संभावित दावों के बारे में एक अलग प्रकृति की आशंका पर भी अपीलार्थी की ओर से उसके जवाब के साथ ध्यान दिया गया था। इसके बाद इस न्यायालय ने त्वरित कार्यवाही की आवश्यकताओं पर फिर से जोर दिया।जब इसके सार और सार के आधार पर समझा जाता है, तो अभिवचनों से संबंधित प्रक्रियात्मक पहलू पर दिनांक **1** के उक्त आदेश का प्रभाव स्पष्ट रूप से रहा है कि अभिलेख पर प्रति-दावे के अस्तित्व को इस न्यायालय द्वारा एक उचित पूर्ति के रूप में लिया गया था; और इस आदेश ने मौजूदा अभिवचनों को परेशान करने के लिए थोड़ी, बल्कि शून्य, गुंजाइश छोड़ी।उम्मीद की जा रही थी कि जवाबी दावे के साथ मुकदमे की कार्यवाही को दिए गए चरण से आगे बढ़ाया जाएगा।[पैरा **15.2** और **15.3] [590**-एच; **591**-ए-डी] ए

/

/

/

/

/

569

महेश गोविंदजी त्रिवेदी बनाम बकुल मंगलाल व्यास और ओआरएस।

1.5 यहां तक कि जब इस न्यायालय का दिनांक **1** का आदेश उसके समक्ष रखा गया था, तब भी उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने इसके उद्देश्य और अर्थ के साथ-साथ वाद की कार्यवाही और जवाबी दावा दायर करने के प्रश्न पर भी इसके प्रभाव पर विचार नहीं किया।इस न्यायालय के दिनांक **26.02.2021** के उक्त आदेश के बाद जवाबी दावा दायर करने से संबंधित प्रश्न को फिर से खोलने का कोई कारण नहीं था।इसके अलावा, जिस तारीख को खंड पीठ ने दिनांक **1** के आदेश अपास्त करते हुए के प्रश्न मुकदमे की कार्यवाही को बाधित करने का फैसला किया, उस तारीख को बहुत प्रगति हुई थी, जिसमें वादी द्वारा इस तरह के प्रति-दावे के लिए लिखित बयान दाखिल करना,

प्रति-दावे पर मुद्दों को तैयार करना और वादी के साक्ष्य को दर्ज करना शामिल था।इसके अलावा, उच्च न्यायालय की खंड पीठ और इस न्यायालय द्वारा पारित पहले के आदेशों को देखते हुए सभी संबंधितों द्वारा त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित करने की आवश्यकता थी।ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने दिनांक **1** का आक्षेपित आदेश पारित करते हुए, वाद की कार्यवाही और उस अंतर्गत लागू विधि के प्रासंगिक पहलुओं अंतर्गत विचार किए बिना और कार्यवाही अंतर्गत अपने आदेश के संभावित प्रभाव अंतर्गत विचार किए बिना, जो पहले ही हो चुकी थी और जो प्रगति अंतर्गत थी, प्रति-दावा को रिकॉर्ड अंतर्गत लेने के लिए अपीलार्थी की प्रार्थना अंतर्गत पुनर्विचार करने का निर्देश देते हुए सरसरी तरीके से आगे बढ़े।किसी भी कोण से देखने पर, आक्षेपित आदेश को अलग रखा जाना चाहिए।उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा पारित दिनांकित **30.11.2021** के आक्षेपित आदेश को दरकिनार कर दिया गया है और विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांकित **02.05.2019** के आदेश को बहाल कर दिया गया है।[पैरा **15.4,16,16.1,19**] [**591-ई-एच; 592-ए-बी, ई**] केस विधि संदर्भ

/

/

/

/

/

[2019] 17 एससीआर **214**

पर विश्वास किया

पैरा **9.2**

सिविल अपीलीय अधिकारिता 2022 की सिविल अपील संख्या 7203।

2004 के सूट No.1821 में 2019 के नोटिस ऑफ मोशन (L) No.1014 में 2020 की अपील No.10 में बॉम्बे में उच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय और आदेश दिनांक 30.11.2021 से।

/

श्याम दीवान, शेखर नाफड़े, वरिष्ठ अधिवक्ता।, यदुनथ चौधरी, कुणाल चीमा, अपूर्व शुक्ला, आदित्य देशमुख, महेश त्रिवेदी,

/

/

ओंकार कुलकर्णी, सुश्री रुचिता कुणाल चीमा, सुश्री अदिति देशपांडे पारखी, साबिर कच्छी, महेश अग्रवाल, ऋषि अग्रवाल, अंकुर सहगल, रोहन तलवार, शाश्वत सिंह, ई. सी. अग्रवाल, अधिवक्ता। उपस्थित पक्षकारों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

/

दिनेश माहेश्वरी, जे.

अनुमति दी गई।

2. विशिष्ट निष्पादन के लिए एक लंबित मुकदमे में प्रतिवादी द्वारा यह अपील (2004 का मुकदमा संख्या 1821) दिनांकित 30.11.2021 के निर्णय और आदेश के खिलाफ निर्देशित की जाती है, जैसा कि बॉम्बे में उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच द्वारा 2020 की अपील संख्या 10 में पारित किया गया है, जो उक्त मुकदमे में 2019 की सूचना (एल) संख्या 1014 में दिनांकित 02.05.2019 के आदेश से उत्पन्न होता है।

/

2.1.दिनांक 02.05.2019 के उक्त आदेश द्वारा, प्रश्न मुकदमे के मुकदमे से निपटने वाले उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने प्रतिवादी-अपीलार्थी द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव के नोटिस को स्वीकार कर लिया था ताकि देर से दायर किए गए जवाबी दावे को रिकॉर्ड पर लिया जा सके। हालाँकि, उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने एकल न्यायाधीश द्वारा इस प्रकार पारित आदेश को दरकिनार कर दिया है और मामले को नए सिरे से विचार के लिए भेज दिया है, अनिवार्य रूप से इस आधार पर कि वादी को जवाब दाखिल करने और प्रस्ताव के उक्त नोटिस को चुनौती देने का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया था।

/

/

3. इस अपील में, प्रतिवादी-अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुतियों का मुख्य मुद्दा यह है कि उसी वाद से संबंधित आनुषंगिक कार्यवाही के संबंध में इस न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 1 के आदेश को देखते हुए, प्रश्न कार्यवाही को अभिलेख पर प्रति-दावे के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है; और, किसी भी मामले में, प्रति-दावे को रिकॉर्ड पर लेने वाले एकल न्यायाधीश के सुविचारित आदेश में डिवीजन बेंच द्वारा हस्तक्षेप करने का कोई औचित्य नहीं था।दूसरी ओर, वादी-प्रत्यर्थियों की ओर से यह प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने उचित रूप से हस्तक्षेप किया है

क्योंकि एकल न्यायाधीश द्वारा वादी-प्रत्यर्थियों को प्रस्ताव की सूचना को चुनौती देने का अवसर दिए बिना आदेश पारित किया गया था; और प्रक्रिया के लागू नियमों के सही संचालन में, प्रश्न में जवाबी दावा, जो लिखित बयान दाखिल करने के लगभग 13 साल बाद दायर किया गया था, को रिकॉर्ड पर नहीं लिया जा सकता था, विशेष रूप से जब इस तरह की सकल और अत्यधिक देरी के लिए कारण की झलक नहीं थी।

/

/

/

/

महेश गोविंदजी त्रिवेदी बनाम बकुल मंगलाल व्यास और ओआरएस। [दिनेश माहेश्वरी, जे.] ए.

/

3.1.इस प्रकार, इस अपील में निर्धारण का आह्वान करने वाला संक्षिप्त प्रश्न यह है कि क्या उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने जवाबी दावे को रिकॉर्ड पर लेने के लिए एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप करना उचित ठहराया है।

4. पूर्वगामी रूपरेखा और इसमें शामिल संक्षिप्त प्रश्न को ध्यान में रखते हुए, मामले के पृष्ठभूमि पहलुओं को संक्षेप में देखा जा सकता है, और केवल वर्तमान उद्देश्य के लिए प्रासंगिक सीमा तक।

/

4.1 विले पार्ले, दादाभाई रोड, मुंबई में स्थित मुक़दमे की संपत्ति के संबंध में, वादी-प्रत्यर्थियों ने 10.06.2004 पर 2004 की संख्या 1821 वाले प्रश्न में मुक़दमा दायर किया है, जिसमें 28.05.2001 के हस्तांतरण के लिए एक कथित समझौते के विशिष्ट प्रदर्शन की मांग की गई है, जिसे इसके मालिक स्वर्गीय रामलक्ष्मी रविशंकर त्रिवेदी द्वारा निष्पादित किया गया था, जो अपीलार्थी की बहन थीं और जिनकी मृत्यु 31.01.2004 पर हुई थी।उक्त मुकदमे में, अपीलार्थी के अलावा, मृतक मालिक के अन्य कानूनी उत्तराधिकारियों को भी प्रतिवादी के रूप में प्रस्तुत किया गया था। अपीलार्थी ने 16.11.2005 पर मुकदमे में अपना लिखित बयान दायर किया।

/

/

4.2.अपीलार्थी द्वारा यह इंगित किया गया है कि उसने वसीयती उत्तराधिकार द्वारा और मृतक मालिक के उक्त अन्य कानूनी उत्तराधिकारियों के साथ समझौता करके वाद संपत्ति में सभी अधिकार प्राप्त कर लिए थे।अपीलार्थी के अनुसार, मुक़दमे की संपत्ति में उसके उत्तराधिकार से संबंधित मामला अंततः केवल 05.04.2017 पर ही सुलझा।इसके बाद, 16.01.2018 पर,

अपीलार्थी द्वारा वाद संपत्ति में स्वामित्व अधिकार प्राप्त करने के लिए, 2004 के वाद संख्या 1821 से अन्य प्रतिवादियों को हटाने के लिए 2017 का चैंबर समन (एल) संख्या 559 दायर किया गया था; उक्त कक्ष समन की अनुज्ञात गई थी और प्रतिवादी संख्या 1,2,4, और 5 को पक्षों की श्रृंखला से हटा दिया गया था।

/

/

4.3.इसके बाद, 07.09.2018 पर, प्रतिवादी-अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री में इस मुकदमे में अपना जवाबी दावा (18.08.2018 पर हस्ताक्षरित) दायर किया।जब 05.12.2018 पर मुद्दों को तैयार करने के लिए मुकदमा चलाया गया था, तो मुकदमे से निपटने वाले उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने प्रतिवादी द्वारा अपना लिखित बयान दर्ज करने के बाद और अदालत की अनुमति लिए बिना, विशेष रूप से बॉम्बे उच्च न्यायालय (मूल पक्ष) नियम 1 के नियम 95 के संदर्भ में, जवाबी दावा दायर करने के खिलाफ आपत्ति जताई।इसलिए, विद्वान एकल न्यायाधीश ने आदेश दिया कि प्रति-दावे को अपंजीकृत किया जाए और अपीलार्थी के वकील को वापस कर दिया जाए।प्रतिवादी-अपीलार्थी का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने अनुरोध किया

/

1 'नियम ', संक्षेप में।

/

/

/

जवाबी दावा दायर करने की स्वतंत्रता के लिए एक उपयुक्त आवेदन दायर करने की अनुमति दें। विद्वान एकल न्यायाधीश ने इस प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया, ऐसा न हो कि इसे देर से जवाबी दावा दायर करने के लिए किसी प्रकार की अनुमति के रूप में माना जाए।इसके बाद, विद्वान एकल न्यायाधीश ने उसी दिन (05.12.2018) मुद्दों को विरचित किया और मामले को साक्ष्य के लिए पोस्ट किया गया।इसकी प्रासंगिकता के लिए, हम 05.12.2018 पर विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा इस प्रकार पारित आदेश की सामग्री को निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत कर सकते हैं:-

/

"1. सूट मुद्दों को तैयार करने के लिए है।प्रतिवादी संख्या 3, एकमात्र जीवित प्रतिवादी ने 16 नवंबर 2005 को अपना लिखित बयान दर्ज किया।ऐसा प्रतीत होता है कि बॉम्बे उच्च न्यायालय (मूल पक्ष)

नियमों के नियम 95 के प्रावधानों के पूरी तरह से विपरीत, तीसरे प्रतिवादी ने हाल ही में एक काउंटर-काउंटर-दावा दायर करने का इरादा किया है।कुछ इस तरह से कि मैं पूरी तरह से समझने में असमर्थ हूं, तीसरे प्रतिवादी को, न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना, काउंटर-क्लेम के लिए एक लॉजिंग नंबर मिला है।

/

2. नियम 95 सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 ("सी. पी. सी".) के आदेश VIII नियम 6-ए के साथ समान सामग्री में है।दोनों का कहना है कि एक काउंटर-क्लेम एक क्रॉस-सूट की तरह आगे बढ़ता है। इसका मतलब है कि, ठीक उसी तरह जैसे किसी वाद के मामले में, प्रत्येक प्रति-दावा भी वैधानिक सीमा के मुद्दों के अधीन है।लेकिन इसके अलावा, प्रति-दावे एक और शर्त के अधीन हैं जो एक मुकदमे पर लागू नहीं होते हैं।नियम 95 और आदेश VIII नियम 6-ए दोनों एक बाहरी सीमा निर्दिष्ट करते हैं जिसके बाद कोई प्रति-दावा दायर नहीं किया जा सकता है।दूसरे शब्दों में, यह प्रतिवादी के लिए किसी भी समय प्रतिवाद दायर करने के लिए खुला नहीं है जो प्रतिवादी चुनता है।इसे बचाव पक्ष के साथ या बचाव पक्ष दाखिल करने के लिए सीमित समय समाप्त होने से पहले दायर किया जाना चाहिए।मामले की किसी भी दृष्टि से तीसरे प्रतिवादी ने 2018 में कोई प्रति-दावा दर्ज नहीं कराया होगा।

/

/

/

3. रजिस्ट्री को न्यायालय के आदेश के बिना बॉम्बे उच्च न्यायालय (मूल पक्ष) नियमों के नियम 95 के स्पष्ट शब्दों के विपरीत इस तरह से प्रति-दावों को स्वीकार नहीं करना है।नियम 95 में निर्धारित समय से अधिक समय तक प्रस्तुत करने या दर्ज करने के लिए प्रति-दावा स्वीकार करना भी नहीं है।

/

4. 2018 की मौजूदा प्रति-दावा (एल) संख्या 186 का पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा और प्रतिवादी संख्या 3 के अधिवक्ता को तुरंत वापस कर दिया जाएगा।

5. श्री तंबोली एक प्रति-दावा दायर करने की स्वतंत्रता के लिए एक उपयुक्त आवेदन दायर करने की अनुमति चाहते हैं।मैं ऐसी कोई छुट्टी नहीं दे सकता, ऐसा न हो कि

/

/

महेश गोविंदजी त्रिवेदी बनाम बकुल मंगलाल व्यास और ओआरएस। [दिनेश माहेश्वरी, जे.] ए.

इसे किसी प्रकार की अनुमति या निष्कर्ष के रूप में माना जाए कि नियम 95 में निर्धारित समय अवधि के बाद काउंटर-क्लेम दायर किया जा सकता है।इसलिए मैं न तो छुट्टी दे रहा हूं और न ही मना कर रहा हूं।6. तीसरे प्रतिवादी द्वारा प्रस्ताव की सूचना, 2018 का प्रस्ताव संख्या 1713 भी लंबित है।प्रस्ताव की उस सूचना के समर्थन में अतिरिक्त शपथपत्र 7 दिसंबर 2018 को या उससे पहले रजिस्ट्री में दाखिल किया जाना है।वादी द्वारा जवाब में शपथपत्र 1 फरवरी 2019 को या उससे पहले दाखिल किया जाना है और दिया जाना है।न्यायालय की अनुमति के बिना कोई प्रत्युत्तर दायर नहीं किया जाना है।

/

7. 6 फरवरी **2019** को सुनवाई और अंतिम निपटान के लिए प्रस्ताव की सूचना की सूची।

/

8. सूट को मुद्दों को तैयार करने के लिए लिया जाता है।मुद्दों को विरचित किया जाता है और इन्हें इस आदेश के साथ जोड़ा जाता है।

9. वादी 18 जनवरी 2019 को या उससे पहले (i) वादी का साक्ष्य शपथपत्र पत्र; (ii) दस्तावेजों का शपथपत्र पत्र; और (iii) विधिवत अनुक्रमित और पृष्ठांकित दस्तावेजों का संकलन दाखिल करेगा।इनमें से प्रत्येक की प्रतियां उस तारीख को या उससे पहले प्रतिवादियों के अधिवक्ताओं को दी जाएंगी।

/

10. खोज और निरीक्षण पूरा किया जाना है और प्रवेश और अस्वीकृति के बयानों का आदान-प्रदान 1 फरवरी 2019 को या उससे पहले किया जाना है।

/

11. समय का कोई विस्तार नहीं होगा।अनुपालन की चूक में, मुकदमा न्यायालय को आगे भेजे बिना खारिज कर दिया जाएगा।12. इन निर्देशों का पालन करने वाले वादियों पर, 8 फरवरी 2019 को वादियों के दस्तावेजों को चिह्नित करने और आगे के निर्देशों के लिए मामला उठाया जाएगा, भले ही मामला किसी भी शीर्षक के अंतर्गत दिखाई दे।

/

13. वादी को मूल दस्तावेजों को प्रस्तुत नहीं करना है और उन्हें प्रमाणित प्रतियों का संकलन दाखिल करना और प्रस्तुत करना आवश्यक है।वादी सहमत होते हैं और मूल को संरक्षित करने का वचन देते हैं और मुकदमे के अंतिम निपटारे तक आवश्यकता पड़ने पर इसे न्यायालय में पेश करते हैं।

/

14. यह स्पष्ट किया जाता है कि बाद की सभी घटनाओं, यानी मुकदमा दायर करने के बाद की घटनाओं को दोनों पक्षों के मुख्य परीक्षण के बदले शपथपत्र में संदर्भित किया जा सकता है। "

/

/

/

[2022] 16 एस सी आर।

4.4.प्रतिवादी-अपीलार्थी ने एक अंतर-अदालत अपील में उपरोक्त आदेश दिनांक 05.12.2018 को चुनौती दी।उक्त अपील में, अपीलार्थी की ओर से यह प्रस्तुत किया गया था कि प्रतिवाद प्रस्तुत करने के लिए अनुमति मांगने वाला एक उपयुक्त आवेदन दायर किया जाएगा, जिस पर वादी-प्रत्यर्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि उपयुक्त आवेदन पर एकल न्यायाधीश द्वारा अपने गुण-दोष के आधार पर विचार किया जा सकता है और वादी-प्रत्यर्थियों को इस आधार पर अनुमति मांगने वाले आवेदन पर आपत्ति नहीं होगी कि मुद्दे पहले ही विरचित किए जा चुके थे और दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए गए थे।इस प्रकार की गई दलीलों को ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने अपने दिनांक 1 के आदेश द्वारा अपीलार्थी को दो सप्ताह के भीतर आवश्यक आवेदन दायर करने की अनुमति दी, जबकि एकल न्यायाधीश के लिए वादी द्वारा उठाई जाने वाली आपत्तियों पर विचार करने पर अपने गुण-दोष पर निर्णय लेने के लिए इसे खुला छोड़ दिया।29.03.2019 पर उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा इस प्रकार पारित आदेश की प्रासंगिक सामग्री निम्नानुसार हैः-

/

/

"1] अपीलार्थी एकल न्यायाधीश द्वारा दिनांक 5 दिसंबर, 2018 को 2004 के वाद No.1821 में 2018 के प्रस्ताव की सूचना No.1713 में पारित आदेश पर आपत्ति जता रहा है, जिसमें अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत 2018 के प्रतिदावा (L) No.186 का पंजीकरण रद्द करने और उसे वापस करने का निर्देश दिया गया है।3.जवाबी दावा अनिवार्य रूप से इस कारण से वापस कर दिया गया है कि अनुमति मांगने वाला आवेदन अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है।2] अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील का कहना है कि वह जवाबी दावा प्रस्तुत करने के लिए अनुमति मांगने के लिए एक उपयुक्त आवेदन प्रस्तुत करेगा।प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील का तर्क है कि यदि उचित आवेदन प्रस्तुत किया जाता है, तो उसे अपने गुण-दोष के आधार पर निपटाया जा सकता है और उपयुक्त आदेश मुकदमे से निपटने वाले विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा

पारित किया जा सकता है और प्रत्यर्थी-मूल वादी इस आधार पर अनुमति मांगने वाले आवेदन पर आपत्ति नहीं उठाएगा कि मुद्दे पहले ही विरचित किए जा चुके हैं और दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए जा चुके हैं।

/

/

/

/

3] विवाद के गुण-दोष पर विचार किए बिना, हम यहाँ अपीलार्थी-मूल प्रतिवादी को 2004 के वाद No.1824 में जवाबी दावे के साथ अनुमति मांगने वाला आवेदन प्रस्तुत करने की अनुमति देते हैं। यदि अपीलार्थी-मूल प्रतिवादी आज से दो सप्ताह की अवधि के भीतर अनुमति मांगने के लिए एक आवेदन प्रस्तुत करता है, तो विद्वान एकल न्यायाधीश ए के विचार पर विचार कर सकता है और निर्णय ले सकता है।

/

575

महेश गोविंदजी त्रिवेदी बनाम बकुल मंगलाल व्यास और ओआरएस। [दिनेश माहेश्वरी, जे.] ए.

आपत्तियाँ जो प्रतिवादी-मूल वादी द्वारा अपने गुण-दोष पर और विधि के अनुसार उठाई जा सकती हैं।उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, अपील का निपटारा कर दिया जाता है।अपील के निपटारे को देखते हुए, लंबित प्रस्ताव की सूचना कायम नहीं रहती है और इसका निपटारा किया जाता है। "

4.5.डिवीजन बेंच द्वारा इस प्रकार दी गई स्वतंत्रता को ध्यान में रखते हुए, अपीलार्थी ने 2019 की प्रस्ताव संख्या (एल) 1014 (बाद में 2019 की प्रस्ताव संख्या 1547 के रूप में क्रमांकित) दायर की, जिसमें मुकदमे की संपत्ति के कब्जे का दावा करने के लिए जवाबी दावा दायर करने की अनुमति मांगी गई।इस प्रस्ताव की सूचना के समर्थन में दायर शपथपत्र की एक प्रति हमारे सामने रखी गई है जिसमें अपीलार्थी ने अपने जवाबी दावा दायर करने का कारण और आधार बताया है ताकि विचाराधीन मुकदमे की प्रकृति में बदलाव किए बिना कार्यवाही की बहुलता से बचा जा सके और यह भी बताया है कि जवाबी दावा मुद्दों को तैयार करने से पहले और उत्तराधिकार से संबंधित विवाद को अंतिम रूप देने पर मुकदमे की संपत्ति का हकदार बनने के बाद ही दायर किया गया था। अपीलार्थी ने अन्य बातों के साथ-साथ इस शपथपत्र में कहा है:-

/

/

/

“17. मैं कहता हूं कि इसलिए मैंने पक्षों के बीच विवादों के प्रभावी निर्णय के लिए काउंटर दावा दायर करने के लिए इस माननीय न्यायालय की अनुमति मांगने के लिए प्रस्ताव का वर्तमान नोटिस दायर किया है।निम्नलिखित कारणों से

ए। यह मुकदमा 28 मई 2001 के समझौते के विशिष्ट निष्पादन के लिए है, खंड सं। मुक़दमा समझौते के 4 में स्पष्ट रूप से अभिलेख किया गया है कि समझौते के निष्पादन पर वादी को खाली और शांतिपूर्ण कब्जे में रखा गया था।

/

बी। यदि उपरोक्त वाद इस माननीय न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया जाता है, तो यह प्रतिवादी वादी से खाली और शांतिपूर्ण कब्जे की मांग करने का हकदार होगा, जो वादी सूट समझौते के अंतर्गत आनंद ले रहे हैं और इसलिए मुकदमे की संपत्ति के खाली कब्जे की मांग करने वाला जवाबी दावा कार्यवाही की बहुलता से बचने और देरी से बचने के लिए आवश्यक है।

/

ग. कब्ज़े का दावा सीमितता से वर्जित नहीं है, क्योंकि यह प्रतिवादी केवल मुकदमे को खारिज करने पर ही कब्ज़े की मांग करने का हकदार होगा और दोनों मुद्दों पर एक साथ निर्णय लिया जा सकता है।आज तक वादी वाद समझौते के अंतर्गत वाद संपत्ति के कब्जे का दावा कर रहा है न कि प्रतिकूल कब्जे या अवैध अतिक्रमण का।मुक़दमे की संपत्ति पर कब्ज़ा करने का मेरा दावा मुक़दमे की संपत्ति पर मेरे अधिकार पर आधारित है।मैं एक वैध हूँ

/

/

सूट संपत्ति का मालिक।वाद संपत्ति के कब्जे की वसूली का मेरा अधिकार उस तारीख से शुरू होगा जब वादी कब्जा सौंपने से इनकार करता है और/या वाद संपत्ति के प्रतिकूल कब्जे का दावा करता है।इन परिस्थितियों में वाद संपत्ति में कब्जे का मेरा दावा सीमा विधि द्वारा वर्जित नहीं है।

घ. कि जवाबी दावा उपरोक्त वाद में मुद्दों को तैयार करने से पहले दायर किया गया था।

/

ई. यह प्रतिवादी केवल श्रीमती के कानूनी उत्तराधिकारियों के बीच विवादित निपटारे पर ही वाद संपत्ति का हकदार बन गया। रामलक्ष्मी त्रिवेदी और 2017 में प्रोबेट को अंतिम रूप देना।

/

च. इस प्रतिवादी या मूल प्रतिवादियों ने कभी भी कार्यवाही में देरी करने का कोई प्रयास नहीं किया और इसके विपरीत इस प्रतिवादी द्वारा जांच प्राप्त करने के बाद, इस प्रतिवादी ने उपरोक्त मुकदमे की सुनवाई प्राप्त करने के लिए कदम उठाए और मुकदमे को मुद्दों को तैयार करने और दस्तावेजों के संकलन के साथ साक्ष्य का शपथपत्र दाखिल करने तक आगे बढ़ाया गया।

/

छ. प्रतिदावे से वाद की प्रकृति भौतिक विरचित से नहीं बदलेगी और केवल अतिरिक्त मुद्दों को तैयार करने की आवश्यकता होगी ताकि प्रतिदावे और वाद दोनों पर एक साथ निर्णय लिया जा सके।च. इस प्रतिवादी को जवाबी दावा दायर करने की अनुमति देने से वादी के लिए कोई पूर्वाग्रह पैदा नहीं होगा क्योंकि मुकदमे में कार्रवाई के कारण में कोई बदलाव नहीं होगा और जवाबी दावा केवल परिणामी राहतों की प्रकृति में है। "

/

4.6.प्रस्ताव की इस सूचना पर विचार करते समय, विद्वान एकल न्यायाधीश ने विशेष रूप से कार्यवाही की बहुलता से बचने के लिए जवाबी दावा दायर करने की अनुमति देने में संतुष्टि महसूस की।इसलिए, दिनांक 1 के आदेश द्वारा, विद्वान एकल न्यायाधीश ने इस स्पष्टीकरण के साथ प्रस्ताव की सूचना को पूर्ण बना दिया कि वादी के सभी बचाव, जिसमें सीमा भी शामिल है, को खुला रखा गया था।वास्तव में, वादी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने भी जवाबी दावे के समन के रिट की सेवा को माफ कर दिया और सहमति व्यक्त की कि लिखित बयान (जवाबी दावे के लिए) 21.06.2019 के समक्ष दायर किया जाएगा।02.05.2019 दिनांकित इस आदेश की प्रासंगिक सामग्री नीचे दी गई है:-

/

/

“1. सूट विशिष्ट प्रदर्शन के लिए है।प्रतिवादी ने 16 नवंबर 2005 को एक लिखित बयान दायर किया।उन्होंने कोई जवाबी दावा दायर नहीं किया।ए पर बहुत सारे अंतरिम आदेशों को एक तरफ छोड़ते हुए

/

महेश गोविंदजी त्रिवेदी बनाम बकुल मंगलाल व्यास और ओआरएस। [दिनेश माहेश्वरी, जे.] ए.

5 दिसंबर 2018 में मुद्दों को तैयार करने के लिए मुकदमे को अधिसूचित किया गया था।मैंने पाया कि प्रतिवादी ने जवाबी दावा दायर करने का इरादा किया था।मैंने अभिनिर्धारित किया कि बंबई उच्च न्यायालय (मूल पक्ष) नियमों का नियम 95 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश VIII नियम 6-ए के प्रावधानों के समान है।यदि प्रतिवादी द्वारा अपना बचाव करने से पहले जवाबी दावा दायर नहीं किया गया था, तो न्यायालय की अनुमति की आवश्यकता होगी।5 दिसंबर 2018 के मेरे आदेश के पैराग्राफ 3 में, बॉम्बे हाईकोर्ट (मूल पक्ष) नियमों के नियम 95 की व्याख्या पर, मैंने माना कि काउंटर क्लेम के लिए न्यायालय के आदेश की आवश्यकता है।मैंने मौजूदा काउंटर क्लेम को वापस करने का निर्देश दिया।प्रतिवादी ने अपील में मामले को उठाया।29 मार्च 2019 के अपीलीय आदेश ने गुण-दोष पर ध्यान दिए बिना प्रतिवादी को जवाबी दावे के साथ अनुमति मांगने वाला आवेदन प्रस्तुत करने की अनुमति दी।यह प्रस्ताव वह अनुप्रयोग है।यह सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश VIII नियम 9 के साथ पठित आदेश 8 नियम 6-ए और नियम 95 के अंतर्गत अनुमति चाहता है। 2.ऐसा करने के बाद, मुझे छुट्टी से इनकार करने का कोई कारण नहीं दिखता है। प्रतिवादी एक अलग मुकदमा भी दायर कर सकता था।अगर उन्होंने ऐसा किया होता, तो क्रॉस सूट को वर्तमान सूट के साथ टैग किया जाता।दोनों सूटों की विषय वस्तु एक ही है।जवाबी दावा दोनों प्रतिद्वंद्वी दावों को एक साथ और संभवतः सामान्य साक्ष्य के साथ निपटाने के लिए एक सुविधाजनक तरीके के रूप में काम करेगा, इस प्रकार कार्यवाही की बहुलता को रोका जा सकेगा। प्रतिवादी को प्रतिदावा पर पूरा न्यायालय शुल्क भी देना होता है।

/

/

/

/

3. इन परिस्थितियों में, प्रस्ताव की सूचना को प्रार्थना खंड (ए) के संदर्भ में इस स्पष्टीकरण के साथ पूर्ण बनाया जाता है कि वादी के सभी बचावों को सीमा सहित विशेष रूप से खुला रखा जाता है। जवाबी दावा पहले ही दायर किया जा चुका है।आज से एक सप्ताह के भीतर इसकी गिनती कर दी जाएगी।एक प्रति प्रदान की गई है।

/

4. वादी काउंटर क्लेम के समन के रिट की सेवा को माफ कर देता है।वह इस बात से सहमत हैं कि लिखित विवरण 21 जून 2019 को या उससे पहले दाखिल किया जाएगा और दिया जाएगा। "

/

4.7.उपरोक्त दिनांकित 02.05.2019 आदेश को वादी-प्रत्यर्थियों द्वारा एक अंतर-अदालत अपील द्वारा चुनौती दी गई थी जिस पर दिनांकित 30.11.2021 के आक्षेपित आदेश द्वारा विचार किया गया है और इसकी अनुज्ञात गई है।दिनांकित 30.11.2021 के आक्षेपित आदेश की सामग्री पर ध्यान देने से पहले, अन्य आनुषंगिक और सहायक बातों पर ध्यान देना उचित होगा।

/

578

/

[2022] 16 एस सी आर।

दिनांक 02.05.2019 के उक्त आदेश के पारित होने के बाद इस मुकदमे के मुकदमे के दौरान कार्यवाही।

5. 28.06.2019 पर, वादी-प्रत्यर्थियों ने जवाबी दावे के लिए लिखित बयान दाखिल करने के लिए समय बढ़ाने की मांग की, जिसे स्वीकार कर लिया गया और मामले को 11.07.2019 तक स्थगित कर दिया गया।फिर, 09.07.2019 पर, प्रतिवाद के लिए लिखित बयान वादी-उत्तरदाताओं द्वारा दायर किया गया था।हालाँकि, मामले की आगे की प्रगति से पहले, अपीलार्थी ने 18.09.2019 पर 2019 की प्रस्ताव संख्या 2601 की सूचना दायर की, जिसमें मुकदमे की संपत्ति में अधिकार, स्वामित्व और ब्याज को तीसरे पक्ष को हस्तांतरित करने की अनुमति मांगी गई।प्रस्ताव के इस नोटिस को 21.01.2020 पर खारिज कर दिया गया था।इसके बाद, 28.01.2020 पर, प्रति-दावे पर मुद्दे विरचित किए गए थे; पीडब्लू-1 की मुख्य परीक्षा और दस्तावेजों की अंकन पूरी की गई थी; और पीडब्लू-1 की प्रति-परीक्षा दर्ज करने के लिए आयुक्त नियुक्त किया गया था।जिरह दर्ज करने के लिए आयोग की कार्यवाही 05.02.2020 के बाद से आयोजित की गई थी।इस बीच, अपीलार्थी ने 2020 की अपील संख्या 67 दिनांकित उपरोक्त आदेश के खिलाफ अदालत के भीतर अपील को प्राथमिकता दी।इस अपील पर उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा विचार किया गया और निपटाया गया, जिसमें मुकदमे के शीघ्र निपटारे का प्रावधान किया गया था, लेकिन अपीलार्थी की याचिका को स्वीकार नहीं किया गया था, ताकि मुकदमे के लंबित रहने के दौरान प्रश्न संपत्ति को हस्तांतरित करने की अनुमति दी जा सके।व्यथित होकर, अपीलार्थी ने 2021 की एस. एल. पी. (सी) संख्या 1786 के रूप में अपील करने के लिए विशेष अनुमति 2 के लिए याचिका दायर करके इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

/

/

/

/

6. 2021 की उक्त एस. एल. पी. (सी) संख्या 1786 के निपटारे में इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश हमारे समक्ष की गई प्रस्तुतियों को देखते हुए वर्तमान अपील में प्रभावी है और इसलिए, मुख्य विशेषताओं और उनकी प्रासंगिक सामग्री पर आवश्यक विस्तार से ध्यान देना उचित होगा। इसमें, इस न्यायालय ने पक्षकारों द्वारा की गई दलीलों पर ध्यान दिया, जिसमें अपीलार्थी की अपनी अधिक उम्र को देखते हुए संपत्ति का निपटान करने की चिंता के साथ-साथ वाद के परिणाम का पालन करने के लिए संभावित खरीदारों का वचन भी शामिल है।संबंधित पक्षों के विद्वान वकील के साथ बातचीत करने के बाद, इस न्यायालय ने अपीलार्थी और संभावित खरीदारों द्वारा सहमत शर्तों को रेखांकित करते हुए आदेश पारित किया।इस न्यायालय ने वादी-प्रत्यर्थियों की ओर से अपीलार्थी के कानूनी उत्तराधिकारियों के बारे में बाद में संपत्ति में अधिकारों का दावा करने और अपीलार्थी की ओर से इस संबंध में जवाबी प्रस्तुतियों के बारे में व्यक्त की गई आशंका पर भी ध्यान दिया।इस प्रकार, अनुमति के लिए अपीलार्थी की प्रार्थना से संबंधित मामले का निपटारा करने के बाद

/

/

/

2 'एसएलपी ', संक्षेप में।

579

महेश गोविंदजी त्रिवेदी बनाम बकुल मंगलाल व्यास और ओआरएस। [दिनेश माहेश्वरी, जे.] ए.

/

प्रश्न संपत्ति में अधिकार, स्वामित्व और हित को हस्तांतरित करते हुए, इस न्यायालय ने सभी पक्षों से अपेक्षा की कि वे उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा पहले से ही निर्देशित मुकदमे के शीघ्र निपटारे में सहयोग बढ़ाएँ।इस न्यायालय द्वारा 26.02.2021 पर इस प्रकार पारित आदेश इस प्रकार है:- "एक विचित्र मुद्दा हमारे विचार के लिए उत्पन्न होता है।याचिकाकर्ता ने मुकदमा संख्या 2601 में 2019 के प्रस्ताव की सूचना के माध्यम से उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें याचिकाकर्ता प्रतिवादी है, याचिकाकर्ता को प्रतिवादी (ओं)-वादी (ओं) के अधिकारों और दलीलों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना मुकदमा संपत्ति का निपटान करने की अनुमति देने की सीमित राहत के लिए क्योंकि वह पहले ही अधिक उम्र (87 वर्ष) तक पहुंच चुका था और जल्द से जल्द अपने सभी मुद्दों को निपटाना चाहता था।

/

/

एकल न्यायाधीश ने याचिकाकर्ता को वह राहत देने से इनकार कर दिया, साथ ही खंड पीठ ने भी आक्षेपित निर्णय और आदेश दिया।हालांकि, खंड पीठ ने 2004 से लंबित मुकदमे में तेजी लाना उचित समझा और उस संबंध में उपयुक्त निर्देश जारी किए।याचिकाकर्ता की शिकायत यह है कि हालांकि मुकदमे का शीघ्र निपटान करने का निर्देश दिया गया है, लेकिन यह संभावना नहीं है कि मुकदमा अंततः निकट भविष्य में समाप्त हो जाएगा।इसलिए याचिकाकर्ता की अधिक उम्र को ध्यान में रखते हुए, याचिकाकर्ता को कार्यवाही के परिणाम की प्रतीक्षा में रखना उचित और उचित नहीं हो सकता है, विशेष रूप से जब याचिकाकर्ता के साथ-साथ तीसरे पक्ष द्वारा प्रस्तावित खरीदार लंबित मुकदमे के परिणाम का पालन करने के लिए तैयार हैं और आज से दो सप्ताह के भीतर आवश्यक वचन भी देते हैं, जिसमें प्रतिवादी (ओं)-वादी (ओं) को क्षतिपूर्ति करना भी शामिल है, यदि और जब भी अवसर आता है।

/

/

/

इस निवेदन पर विचार करते हुए, हमने याचिकाकर्ता से प्रस्तावित खरीदारों को नोटिस देने का आह्वान किया।उनका प्रतिनिधित्व श्री गोपाल शंकरनारायणन के माध्यम से किया जाता है, जो विद्वान वरिष्ठ वकील श्री अजीत वाघ द्वारा निर्देशित हैं।

याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा किए गए मौखिक अनुरोध पर, हम याचिकाकर्ता को इन कार्यवाहियों में प्रस्तावित खरीदारों को पक्षकारों के रूप में शामिल करने की अनुमति देते हैं। संशोधन तुरंत किया जाए।

/

संबंधित पक्षों के वकील के साथ बातचीत करने के बाद, हम उनके बीच हुए समझौते को दर्ज करते हैं और उस आधार पर इस याचिका का निपटारा करते हैं।

/

सैद्धांतिक रूप से, सभी संबंधितों द्वारा इस बात पर सहमति व्यक्त की जाती है कि याचिकाकर्ता द्वारा वाद संपत्ति की प्रस्तावित बिक्री लंबित वाद के परिणाम के अधीन और प्रतिवादी (ओं)-वादी (ओं) के अधिकारों और दलीलों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, किसी भी तरह से की जाए।

याचिकाकर्ता और प्रस्तावित खरीदारों (अतिरिक्त उत्तरदाताओं) द्वारा सहमत शर्तों को निम्नानुसार चित्रित किया गया है:- (क) याचिकाकर्ता और प्रस्तावित खरीदारों (अतिरिक्त उत्तरदाताओं) के बीच वाद संपत्ति के संबंध में हस्तांतरण विलेख को तीन सप्ताह के भीतर "अमर लाइफस्पेस एलएलपी", एक पारिवारिक फर्म और उसके तीन भागीदारों, अर्थात् दिनेश जोशी और उनके दो बेटों (i) गौरव जोशी और (ii) हेमांग जोशी के नाम पर निष्पादित किया जाएगा।(ख) इस प्रकार निष्पादित किया जाने वाला मूल विलेख याचिकाकर्ता और प्रस्तावित खरीदारों (अतिरिक्त उत्तरदाताओं) द्वारा उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा और उस संबंध में उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन करना जारी रखेगा।

/

/

/

(ग) याचिकाकर्ता और प्रस्तावित खरीदार (अतिरिक्त उत्तरदाता) वचन देते हैं कि वे वाद संपत्ति में किसी तीसरे पक्ष के अधिकार, स्वामित्व या हित का सृजन नहीं करेंगे या उसके आगे अलगाव में लिप्त नहीं होंगे।

/

(घ) याचिकाकर्ता के साथ-साथ प्रस्तावित खरीदार (अतिरिक्त प्रतिवादी) आज से दो सप्ताह के भीतर इस न्यायालय में एक वचन पत्र और क्षतिपूर्ति बांड भी दायर करेंगे ताकि वाद संपत्ति के अधिकार, स्वामित्व और हित के संबंध में प्रतिवादी (ओं)-वादी (ओं) के हित को पूरी तरह से सुरक्षित किया जा सके, जिसमें भविष्य के किसी भी मुकदमे में किए जाने वाले कानूनी खर्च और उस संबंध में नुकसान के दायित्व के संबंध में क्षतिपूर्ति करना शामिल है।(यह क्षतिपूर्ति याचिकाकर्ता और उत्तरदाताओं और अब जोड़े गए उत्तरदाताओं, अर्थात् वाद संख्या 1821/2004 के बीच लंबित मुकदमे पर लागू नहीं होती है।दूसरे शब्दों में, पक्षकार वर्तमान वाद कार्यवाही के संबंध में अपने स्वयं के कानूनी खर्च वहन करेंगे।).

/

/

(ङ) प्रस्तावित खरीदारों (अतिरिक्त उत्तरदाताओं) को उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित मुकदमे में शामिल किया जाएगा, जो बदले में याचिकाकर्ता द्वारा मुकदमे में दायर लिखित बयान और जवाबी दावे को स्वीकार करने का वचन देते हैं।वे आगे लिखित बयान या स्वतंत्र लिखित बयान दाखिल करने के लिए कोई अनुरोध नहीं करेंगे।

/

महेश गोविंदजी त्रिवेदी बनाम बकुल मंगलाल व्यास और ओआरएस। [दिनेश माहेश्वरी, जे.] ए.

/

(च) मुकदमा उस चरण से आगे बढ़ेगा जहां यह वर्तमान में लंबित है और प्रस्तावित खरीदार (अतिरिक्त उत्तरदाता) स्वतंत्र साक्ष्य/दस्तावेज दाखिल करने के लिए कोई आवेदन नहीं करेंगे।(छ) न तो याचिकाकर्ता और न ही प्रस्तावित खरीदार (अतिरिक्त उत्तरदाता) प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से या अपने रिश्तेदारों के माध्यम से वाद संपत्ति के अधिभोगियों से संपर्क करेंगे और वाद संपत्ति में प्रवेश करेंगे।

/

(ज) याचिकाकर्ता के साथ-साथ प्रस्तावित खरीदार (जोड़े गए उत्तरदाता) किसी भी मामले में किसी भी इक्विटी का दावा नहीं करेंगे और मुकदमा संख्या 1821/2004 के परिणाम का पालन करेंगे।

/

(i) प्रस्तावित खरीदार (अतिरिक्त उत्तरदाता) उपक्रम में दर्ज करेंगे कि वे अपने हिस्से का हस्तांतरण नहीं करेंगे/फर्म की संरचना में बदलाव नहीं करेंगे और न ही मुकदमे के लंबित रहने के दौरान फर्म को भंग करेंगे।

प्रत्यर्थियों-वादियों ने वकील के माध्यम से आशंका व्यक्त की है कि प्रस्तावित खरीदारों (अतिरिक्त प्रत्यर्थियों) के पक्ष में बिक्री के बावजूद, याचिकाकर्ता के कानूनी उत्तराधिकारी बाद में वाद संपत्ति में अधिकारों का दावा कर सकते हैं।याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने इस तर्क पर इस याचिका का खंडन किया है कि चूंकि याचिकाकर्ता याचिकाकर्ता के पक्ष में जांच की गई वसीयत के आधार पर वाद संपत्ति में अधिकार, स्वामित्व और हित का दावा कर रहा है, इसलिए कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा किसी भी अधिकार का दावा करने या याचिकाकर्ता और अतिरिक्त उत्तरदाताओं के बीच प्रस्तावित लेनदेन में बाधा डालने का प्रश्न नहीं उठता है और न ही वे याचिकाकर्ता के जीवनकाल के दौरान ऐसा कर सकते हैं।

/

/

यह देखने की आवश्यकता नहीं है कि नए जोड़े गए उत्तरदाताओं सहित सभी पक्ष उच्च न्यायालय की खंड पीठ के निर्देश के अनुसार मुकदमे के शीघ्र निपटारे के लिए पूरा सहयोग करेंगे।

/

विशेष अनुमति याचिका और लंबित आवेदनों का उपरोक्त शर्तों में निपटारा किया जाता है।पक्षकारों को आवश्यकता पड़ने पर आवेदन करने की स्वतंत्रता दी जाती है।

/

रजिस्ट्री को आज से एक सप्ताह के भीतर शामिल/नए जोड़े गए पक्ष के लिए अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड द्वारा दायर किए जाने वाले वकालतनामा/उपस्थिति को स्वीकार करने का निर्देश दिया जाता है। "

7. इसके बाद, जबकि प्रश्न मुकदमा साक्ष्य में आगे बढ़ रहा था, 2020 की सं. 10 वाली उक्त अंतर-न्यायालय अपील, जो थी

/

582

/

[2022] 16 एस सी आर।

प्रतिदावे को अभिलेख पर लेते हुए दिनांक 02.05.2019 के आदेश के खिलाफ दायर, उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा 30.11.2021 पर विचार के लिए लिया गया था।इस न्यायालय के दिनांक 1 के उपरोक्त आदेश को डिवीजन बेंच के समक्ष विचार के लिए रखा गया था, लेकिन डिवीजन बेंच ने वादी की इस शिकायत पर भी ध्यान दिया कि उन्हें काउंटर-क्लेम को रिकॉर्ड पर लेने के लिए प्रस्ताव के नोटिस को चुनौती देने का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया था; और दिनांक 2 के आदेश अपास्त करते हुए ते हुए एकल न्यायाधीश द्वारा नए सिरे से विचार के लिए मामले को भेजना उचित समझा।30.11.2021 पर उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा इस प्रकार पारित निर्णय और आदेश इस अपील में चुनौती में है और निम्नानुसार हैः-

/

/

"1. उपरोक्त अपील द्वारा, अपीलार्थी ने 2 मई, 2019 को लर्नड सिंगल जज द्वारा पारित आदेश पर आपत्ति जताई है, जिसमें प्रतिवादी को लगभग सत्रह साल की अवधि के बाद जवाबी दावा आक्षेपित करने की अनुमति दी गई है।मान लीजिए, मामला पहली बार 2 मई, 2019 को न्यायालय के समक्ष पेश हुआ था, जब अपीलकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले कनिष्ठ अधिवक्ता ने जवाब दाखिल करने के लिए समय का अनुरोध किया था।हालाँकि, विद्वान न्यायाधीश ने समय देने से इनकार कर दिया और प्रतिवादी के पक्ष में एक आदेश पारित करने के लिए आगे बढ़े।वास्तव में, हमारे समक्ष प्रतिवादी ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित 26 फरवरी, 2021 के एक आदेश पर भरोसा किया है जो विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा आक्षेपित आदेश के पारित होने के बाद पारित किया गया है।इसे ध्यान में रखते हुए, हम निम्नलिखित आदेश पारित करते हैंः

/

/

(i) 2 मई, 2019 का आक्षेपित आदेश दरकिनार कर दिया गया है।

((ii) अपीलार्थी आज से एक सप्ताह की अवधि के भीतर 2019 के प्रस्ताव सं. 1014 पर अपना जवाब दाखिल करेंगे।(iii) उत्तरदाता उसके बाद एक सप्ताह की अवधि के भीतर जवाब के लिए अपना प्रत्युत्तर दाखिल करेगा।

/

((iv) विद्वान एकल न्यायाधीश से अनुरोध किया जाता है कि वे पक्षकारों को सुनें और 2 मई, 2019 के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश से प्रभावित हुए बिना, प्रत्युत्तर दाखिल करने की तारीख से दो सप्ताह की अवधि के भीतर नए सिरे से प्रस्ताव की सूचना का निपटारा करें।

/

(v) पक्षों की सभी दलीलें खुली रखी जाती हैं।

2. उपरोक्त प्रस्ताव की सूचना का तदनुसार निपटारा किया जाता है। "

/

583

महेश गोविंदजी त्रिवेदी बनाम बकुल मंगलाल व्यास और ओआरएस। [दिनेश माहेश्वरी, जे.] ए.

/

8. अपीलार्थी की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री श्याम दीवान ने पृष्ठभूमि पहलुओं का उल्लेख किया है और तर्क दिया है कि आक्षेपित निर्णय और दिनांकित आदेश कई कारणों से अस्थिर है, जिसमें मौलिक कारण भी शामिल है कि यह इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आधार पर है।विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता प्रस्तुत करेंगे कि इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश को ध्यान में रखते हुए, अभिलेख पर प्रति-दावा प्राप्त करने का प्रश्न अब फिर से सक्रिय होने के लिए खुला नहीं रहा, विशेष रूप से जब इस न्यायालय ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी कि प्रस्तावित खरीदार, (जिन्हें मुकदमे में शामिल किया जाना था), लिखित बयान को स्वीकार करेंगे और साथ ही अपीलार्थी द्वारा दायर प्रति-दावा को भी, जो मौजूदा है; और मुकदमा इस न्यायालय द्वारा आदेश पारित करने के समय के स्तर से आगे बढ़ेगा।विद्वान वरिष्ठ वकील प्रस्तुत करेंगे कि उक्त दिनांकित आदेश 26.02.2021 डिवीजन बेंच के समक्ष रखा गया था और इसे नोटिस करने के बावजूद, डिवीजन बेंच इस बात पर विचार करने में विफल रही है कि रिकॉर्ड पर काउंटर-क्लेम लेने के प्रश्न को फिर से नहीं खोला जा सका है।

/

/

/

8.1.विद्वान वरिष्ठ वकील ने आगे तर्क दिया है कि आक्षेपित आदेश में, उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने सरसरी तरीके से आगे बढ़े हैं क्योंकि विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा 02.05.2019 पर पारित किए गए सुविचारित आदेश अपास्त करते हुए के लिए कोई कारण नहीं दिया गया है।

/

8.2.विद्वान वरिष्ठ वकील ने दिनांक 1 के उक्त आदेश का भी उल्लेख किया है और प्रस्तुत किया है कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने अपीलार्थी को अपना प्रतिवाद प्रस्तुत करने की अनुमति देने के लिए उचित कारण दिए हैं और वादी के सभी बचावों को छोड़ दिया है, जिसमें सीमा भी शामिल है।विद्वान वरिष्ठ वकील के अनुसार, यह आदेश किसी भी दुर्बलता से ग्रस्त नहीं था ताकि हस्तक्षेप की आवश्यकता हो।9. इसके विपरीत, प्रतिद्वंद्वी प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री शेखर नाफडे ने मुकदमे में कार्यवाही का एक विस्तृत संदर्भ दिया है और जोरदार तर्क दिया है कि इस दीवानी मुकदमे में, जो वर्ष 2004 में दायर किया गया था और जिसमें अपीलार्थी द्वारा 16.11.2005 पर लिखित बयान दायर किया गया था, लगभग 13 साल बाद जवाबी दावा पेश करने के प्रयास को स्वीकार नहीं किया जा सकता था।

/

/

9.1.विद्वान वरिष्ठ वकील ने विशेष रूप से दिनांकित 05.12.2018 आदेश का उल्लेख किया है और प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थी द्वारा गुप्त रूप से दायर किए गए जवाबी दावे को रिकॉर्ड से हटा दिया गया था, विशेष रूप से

/

जब लिखित बयान 13 साल से अधिक समय पहले दायर किया गया था और काउंटर-क्लेम को रिकॉर्ड पर रखने की अनुमति लेने के लिए एक भी आवेदन दायर नहीं किया गया था।विद्वान वरिष्ठ वकील आगे यह प्रस्तुत करेंगे कि भले ही दिनांक 1 के आदेश के खिलाफ अपील में, अपीलकर्ता द्वारा आवेदन दायर करने के प्रश्न पर गंभीर आपत्तियां नहीं उठाई गईं और मुकदमे के उस चरण के संदर्भ में आपत्ति नहीं उठाने के लिए रियायत दी गई थी जहां मुद्दे पहले ही तैयार किए जा चुके थे,

ऐसी रियायत किसी पक्ष को विधि के विपरीत बाध्य नहीं कर सकती है और न ही इसे विलंबित चरण में जवाबी दावा दायर करने की स्वीकृति के विरचित में पढ़ा जा सकता है।

/

9.2.विद्वान वरिष्ठ वकील ने आगे प्रस्तुत किया है कि दिनांकित 02.05.2019 आदेश एक गुप्त और गैर-भाषी आदेश था और इसमें, विद्वान एकल न्यायाधीश बॉम्बे उच्च न्यायालय (मूल पक्ष) नियमों के नियम 95 सहित मामले में लागू विधि पर विचार करने में विफल रहे।विद्वान वरिष्ठ वकील ने भी अशोक के मामले में इस न्यायालय के 3-न्यायाधीशों की पीठ के फैसले पर एक मजबूत निर्भरता के साथ प्रस्तुत किया है

/

कुमार कालरा बनाम विंग कमांडर। सुरेंद्र अग्निहोत्री और अन्य:**(2020) 2**

/

एस**.** सी**.** सी**. 394,** जिसने वर्तमान मामले में देर से जवाबी दावा दायर किया**,** इस न्यायालय द्वारा घोषित विधि से सीधे प्रभावित है।

9.3.प्रत्यर्थियों की ओर से यह भी प्रस्तुत किया गया है कि इस न्यायालय के समक्ष 2021 की उक्त एसएलपी (सी) संख्या 1786 की विषय वस्तु अपीलार्थी द्वारा मुकदमे की संपत्ति को किसी तीसरे पक्ष को हस्तांतरित करने से संबंधित थी और प्रतिवाद के संबंध में कोई प्रश्न का उल्लेख या तर्क नहीं किया गया था।इसलिए, उक्त एस. एल. पी. के निपटारे में पारित 26.02.2021 का आदेश प्रतिवाद के संबंध में प्रत्यर्थी की आपत्तियों के खिलाफ काम नहीं करता है।

/

10. अपने प्रत्युत्तर प्रस्तुतियों में, अपीलार्थी के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील प्रस्तुत करेंगे कि अशोक कुमार कालरा (उपरोक्त) में उक्त निर्णय अपीलार्थी की जवाबी दावे को रिकॉर्ड पर लेने की प्रार्थना के खिलाफ काम नहीं करता है और बल्कि, उसमें प्रतिपादित विधि के सिद्धांत अपीलार्थी की ओर से किए गए प्रस्तुतियों का समर्थन करते हैं।

/

11. प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर विचारपूर्वक विचार करने और अभिलेख पर रखी गई सामग्री की जांच करने के बाद, हमारा स्पष्ट रूप से यह विचार है कि न तो उच्च न्यायालय की खंड पीठ के आक्षेपित आदेश को मंजूरी दी जा सकती है और न ही दिनांकित आदेश की वैधता और वैधता के खिलाफ प्रत्यर्थियों की ओर से की गई प्रस्तुतियों को स्वीकार किया जा सकता है।

/

/

महेश गोविंदजी त्रिवेदी बनाम बकुल मंगलाल व्यास और ओआरएस। [दिनेश माहेश्वरी, जे.] ए.

/

12. जहां तक मामले में लागू विधि के प्रावधानों का संबंध है, हम उपयोगी रूप से सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश VIII नियम 6-ए और बॉम्बे उच्च न्यायालय (मूल पक्ष) नियमों के नियम 95 में निहित प्रावधानों पर ध्यान दे सकते हैं।-

आदेश **VIII** नियम **6-**ए सीपीसी:

/

"**6-**ए. प्रतिवादी द्वारा प्रतिवाद।— **(1)** मुक़दमे में एक प्रतिवादी

वाद दाखिल करने से पहले या बाद में, लेकिन प्रतिवादी द्वारा अपना बचाव करने से पहले या अपना बचाव देने के लिए सीमित समय समाप्त होने से पहले, चाहे ऐसा प्रतिवाद हर्जाने के दावे की प्रकृति का हो या न हो, नियम 6 के अंतर्गत वादी के दावे के खिलाफ प्रतिदावे के रूप में स्थापित अपने अधिकार के अलावा, वादी के खिलाफ प्रतिवादी को उपार्जित कार्रवाई के कारण के संबंध में कोई अधिकार या दावा कर सकता है।

/

बशर्ते कि ऐसा प्रतिवाद न्यायालय की अधिकारिता की आर्थिक सीमाओं से अधिक नहीं होगा।

/

(2) इस तरह के प्रतिदावे का एक प्रतिदावे के समान प्रभाव होगा ताकि न्यायालय मूल दावे और प्रतिदावे दोनों पर एक ही मुकदमे में अंतिम निर्णय देने में सक्षम हो सके।(3) वादी को न्यायालय द्वारा निर्धारित की जाने वाली अवधि के भीतर प्रतिवादी के प्रतिदावे के जवाब में एक लिखित बयान दायर करने की स्वतंत्रता होगी।

/

(4) प्रतिदावे को एक वाद के रूप में माना जाएगा और अभियोगों पर लागू नियमों द्वारा शासित किया जाएगा। "

बंबई उच्च न्यायालय (मूल पक्ष) के नियम **95:**

/

"95. किसी वाद में प्रतिवादी, सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश VIII, नियम 6 के अंतर्गत रोक लगाने का अनुरोध करने के अपने अधिकार के अलावा, वादी के दावों के खिलाफ प्रतिवाद के

माध्यम से कोई भी अधिकार या दावा स्थापित कर सकता है जो प्रतिवादी को मुकदमा दायर करने से पहले या बाद में कार्रवाई के कारण के संबंध में प्राप्त होता है, लेकिन प्रतिवादी के अपना बचाव करने से पहले और अपना बचाव देने के लिए सीमित समय समाप्त होने से पहले, चाहे वह प्रति-दावा हर्जाने में लगे या न लगे, और इस तरह के प्रति-दावे का प्रभाव प्रति-मुकदमे के समान होगा, ताकि न्यायालय उसे सुनाने में सक्षम हो सके।

/

3 'संक्षेप में सी. पी. सी. '।

/

मूल दावे और प्रति-दावे दोनों पर एक ही मुकदमे में अंतिम निर्णय ; और वादी (यदि इस तरह से सलाह दी जाती है) प्रतिवादी के प्रति-दावे की एक प्रति के रिकॉर्ड पर प्रतिवादी या उसके वकील पर सेवा के बाद आठ सप्ताह के भीतर प्रतिवादी के प्रति-दावे का जवाब दायर करने के लिए स्वतंत्र होगा; और न्यायालय या चैंबर्स में न्यायाधीश, मुकदमे से पहले वादी के आवेदन पर, यदि न्यायालय या न्यायाधीश की राय में इस तरह के प्रति-दावे का निपटारा लंबित मुकदमे में नहीं किया जा सकता है या इसकी अनुज्ञात नहीं दी जानी चाहिए, तो प्रतिवादी को इसका लाभ उठाने की अनुज्ञात देने से इनकार कर सकता है और उससे उसके संबंध में एक अलग मुकदमा दायर करने की अपेक्षा कर सकता है। "

/

13. अशोक कुमार कालरा (उपरोक्त) मामले में, इस न्यायालय की 3-न्यायाधीशों की पीठ ने अनिवार्य रूप से इस प्रश्न पर विचार किया कि क्या लिखित बयान के साथ प्रतिवादी का जवाबी दावा दायर करना अनिवार्य है।इस प्रश्न का उत्तर देते समय, इस न्यायालय ने बुनियादी सिद्धांतों को रेखांकित किया कि प्रक्रियात्मक विधि का इस तरह से अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए कि यह अदालत को असहाय छोड़ दे; और यह कि एक मुकदमे के प्रक्रियात्मक तत्वों के बारे में सिविल कोर्ट को व्यापक विवेकाधिकार दिया गया था।ऐसा कहने के बाद, इस न्यायालय ने कहा कि एक जवाबी दावा कार्यवाही की बहुलता से बचने के लिए बनाया गया है; कि जवाबी दावा दायर करने के लिए समय सीमा स्पष्ट रूप से प्रदान नहीं की गई है, लेकिन कार्रवाई के कारण के संचय के रूप में सीमा है।हालांकि, बहुमत की राय रही है कि मुद्दों को विरचित करने और मुकदमा काफी हद तक आगे बढ़ने के बाद प्रतिवादी को जवाबी दावा दायर करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।यह अन्य बातों के साथ-साथ प्रमुख निर्णय में निम्नानुसार देखा और अभिनिर्धारित किया गया था:-

"18. जैसा कि हमने पिछले पैराग्राफ में चर्चा की है, प्रक्रियात्मक विधि का पूरा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पर्याप्त न्याय देने की प्रक्रिया में विधि ी प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाया जाए।विशेष रूप से, आदेश 8 सी. पी. सी. में नियम 6-ए को पेश करने का उद्देश्य पक्षों को अलग-अलग मुकदमा दायर करने के लिए प्रेरित करके कार्यवाही की बहुलता से बचना है और यह देखना है कि पक्षों के बीच विवाद का अंत में निर्णय हो।यदि प्रावधान की व्याख्या इस तरह से की जाती है, ताकि प्रतिदावे को देर से दाखिल करने की अनुमति दी जा सके, तो प्रावधान ही निरर्थक हो जाता है और जिस उद्देश्य के लिए संशोधन किया जाता है वह विफल हो जाएगा और अंततः यह न्याय की घोर विफलता की ओर ले जाता है।साथ ही, एक कठोर और अति-तकनीकी दृष्टिकोण नहीं हो सकता है कि प्रावधान यह निर्धारित करता है कि जवाबी दावा लिखित बयान के साथ दायर किया जाना है और इसके अलावा, न्यायालय के पास कोई शक्ति नहीं है।अदालतें, ए में ले जा रही हैं

/

/

/

/

/

/

587

महेश गोविंदजी त्रिवेदी बनाम बकुल मंगलाल व्यास और ओआरएस। [दिनेश माहेश्वरी, जे.] ए.

प्रतिवाद के समर्थन में बताए गए कारणों पर विचार करते हुए, संशोधन के पीछे के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और न्याय के उद्देश्यों को कम करना चाहिए। यह कहने के लिए कोई कठोर और तेज़ नियम नहीं हो सकता है कि अदालतों को दिए गए विवेकाधिकार को कम करके, एक विशेष समय में जवाबी दावा दायर किया जाना है।निचली विचारण न्यायालय को विवेकपूर्ण तरीके से विवेकाधिकार का प्रयोग करना होगा और एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचना होगा कि प्रतिवाद की अनुमति देने से, विरोधी पक्ष को कोई पूर्वाग्रह नहीं होता है, प्रक्रिया में अनुचित देरी नहीं होती है और यह न्याय के सर्वोत्तम हित में है और संशोधन के माध्यम से प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों के अनुसार है।लेकिन फिर भी, हमारी यह सुविचारित राय है कि मुद्दों को विरचित करने के बाद और मुकदमा काफी हद तक आगे बढ़ने के बाद प्रतिवादी को प्रतिवाद दायर करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।यह न्याय के उद्देश्य को विफल कर देगा और त्वरित न्याय के सिद्धांत के लिए हानिकारक होगा जैसा कि सी. पी. सी. में विशेष संशोधन के उद्देश्यों और कारणों में निहित है।

/

/

***

***

***

/

21. हम अपने निष्कर्षों को जोड़ते हैं, कि आदेश 8 नियम 6-ए सी. पी. सी. लिखित बयान दाखिल करने के बाद जवाबी दावा दायर करने पर प्रतिबंध नहीं लगाता है, बल्कि प्रतिबंध केवल कार्रवाई के कारण के संचय के संबंध में है।ऐसा कहने के बाद, यह प्रतिवादी को पर्याप्त देरी के साथ जवाबी दावा दायर करने का पूर्ण अधिकार नहीं देता है, भले ही निर्धारित सीमा अवधि बीत न गई हो।न्यायालय को जवाबी दावा दायर करने की बाहरी सीमा को ध्यान में रखना होगा, जो मुद्दे विरचित होने तक निर्धारित है।ऐसे मामलों में न्यायालय के पास नीचे दिए गए समावेशी कारकों पर विचार करने और उनका मूल्यांकन करने के बाद, जो केवल उदाहरणात्मक हैं, हालांकि संपूर्ण नहीं हैंः

/

/

((i) विलंब की अवधि।

((ii) कार्रवाई के कारण के लिए निर्धारित सीमा अवधि का अनुरोध किया गया।((ग) विलम्ब का कारण।

/

((iv) प्रतिवादी का अपने अधिकार का दावा।

(v) मुख्य वाद और प्रतिवाद के बीच कार्रवाई के कारण की समानता।

(vi) नए मुकदमे की लागत।

/

(vii) अन्याय और प्रक्रिया का दुरुपयोग।(viii) विरोधी पक्ष के प्रति पूर्वाग्रह।

(ix) और प्रत्येक मामले के तथ्य और परिस्थितियाँ।(x) किसी भी मामले में, मुद्दों को तैयार करने के बाद नहीं। "

/

13.1.आंशिक विरचित से असहमत और आंशिक विरचित से सहमत निर्णय अंतर्गत , पीठ के माननीय न्यायाधीशों अंतर्गत से एक ने अपनी राय व्यक्त की कि हालांकि सामान्य नियम यह है कि लिखित बयान दाखिल करने के बाद, मुद्दों को तैयार करने के बाद जवाबी दावा दायर नहीं किया जा सकता है, असाधारण परिस्थितियों अंतर्गत , मुद्दों को तैयार करने के बाद भी जवाबी दावा दायर करने की अनुमति दी जा सकती है, लेकिन वादी के साक्ष्य की रिकॉर्डिंग शुरू होने से पहले।माननीय न्यायाधीश ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित टिप्पणी कीः- "31. पूर्वगामी चर्चा से यह स्पष्ट है कि दो शर्तों को पूरा करने पर जवाबी दावा दायर किया जा सकता हैःपहला, इसकी कार्रवाई का कारण आदेश 8 नियम 6-ए (1) का अनुपालन करता है और दूसरा, यह सीमा अधिनियम के अंतर्गत निर्दिष्ट अवधि के भीतर दायर किया जाता है। स्पष्ट रूप से, अपने आप में, नियम 6-ए में विशेष रूप से यह आवश्यक नहीं है कि लिखित कथन के साथ एक प्रतिवाद दायर किया जाए।इस नियम के अंतर्गत एक विशेष अधिदेश के अभाव में, यह निर्धारित करने के लिए सी. पी. सी. के अन्य प्रावधानों को देखना आवश्यक है कि क्या लिखित बयान के बाद जवाबी दावा दायर किया जा सकता है।

/

/

/

***

***

***

38. आदेश 8 के नियम 6-ए, 9 और 10 के साथ-साथ आदेश 6 नियम 17 सी. पी. सी. के एक संयुक्त और सामंजस्यपूर्ण पठन से इस प्रकार पता चलता है कि न्यायालय को लिखित बयान दाखिल करने के बाद भी जवाबी दावा दायर करने की अनुमति देने का विवेकाधिकार निहित है, जब तक कि यह सीमा अधिनियम, 1963 के अंतर्गत निर्धारित सीमा के भीतर है।इस संबंध में, मैं नीचे चर्चा किए गए निर्णयों में निर्धारित प्रस्तावों से सहमत हूं।

/

***

***

***

56 .उपरोक्त चर्चा इस निष्कर्ष का समर्थन करती है कि भले ही नियम 6-ए लिखित बयान के बाद जवाबी दावा दायर करने की अनुमति देता है, लेकिन न्यायालय को इस तरह की फाइलिंग को अस्वीकार करने का विवेकाधिकार है यदि यह अत्यधिक विलंबित चरण में किया जाता है।हालाँकि, मेरी सुविचारित राय में, मुकदमों का त्वरित निपटान सुनिश्चित करने के लिए, औचित्य की आवश्यकता है कि इस तरह के विवेकाधिकार का उपयोग केवल मुद्दों को तैयार करने तक किया जाना चाहिए।

/

/

589

महेश गोविंदजी त्रिवेदी बनाम बकुल मंगलाल व्यास और ओआरएस। [दिनेश माहेश्वरी, जे.] ए.

मुक़दमे के लिए।इस चरण से परे प्रतिदावे की अनुमति देने से न केवल मुकदमा लंबा चलेगा, बल्कि उन अधिकारों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा जो समय के साथ वादी के पास निहित हो सकते हैं।

***

***

***

60. .....मैं यह निष्कर्ष निकालता हूं कि लिखित बयान के साथ जवाबी दावा दायर करना अनिवार्य नहीं है।न्यायालय , अपने विवेकाधिकार पर, पूर्ववर्ती पैराग्राफ में उल्लिखित विचारों को ध्यान में रखते हुए, लिखित बयान दाखिल करने के बाद जवाबी दावा दायर करने की अनुमति दे सकता है।हालांकि, औचित्य के लिए आवश्यक है कि इस तरह के विवेकाधिकार का उपयोग सामान्य रूप से मुकदमे के लिए मुद्दों को तैयार करने तक जवाबी दावा दायर करने की अनुमति देने के लिए किया जाना चाहिए।इस हद तक, मैं अपने विद्वान भाइयों द्वारा निकाले गए निष्कर्ष से सहमत हूं।हालाँकि, ऊपर बताए गए कारणों से, मेरा विचार है कि असाधारण परिस्थितियों में, वादी की ओर से साक्ष्य की रिकॉर्डिंग शुरू होने के चरण तक लिखित बयान के बाद एक जवाबी दावा दायर करने की अनुमति दी जा सकती है। "

/

/

/

14. उपरोक्त के संदर्भ में और इन मौलिक सिद्धांतों पर आगे बढ़ते हुए कि प्रक्रिया के नियमों का उद्देश्य पक्षकारों को उनके मामले के संचालन में दंडित करने के बजाय न्याय के उद्देश्य को कम करना है, हमारा स्पष्ट रूप से यह विचार है कि प्रश्न जवाबी दावे को केवल इसलिए विचार से नहीं हटाया जा सकता था क्योंकि इसे लिखित बयान दाखिल करने के लंबे समय बाद प्रस्तुत किया गया था।निर्विवाद विरचित से, जवाबी दावा 07.09.2018 पर दायर किया गया था और उस तारीख तक, मुकदमे में मुद्दे नहीं बनाए गए थे।वास्तव में, मुद्दे केवल 05.12.2018 पर विरचित किए गए थे, उसी तारीख को जिस दिन इन कार्यवाही के पहले दौर में विद्वान एकल न्यायाधीश ने जवाबी-दावे को रिकॉर्ड से हटा दिया था क्योंकि इसकी प्रस्तुति के लिए कोई अनुमति/अनुमति नहीं मांगी गई थी।दिनांक 1 के आदेश के खिलाफ अपील में, खंड पीठ ने वादी-उत्तरदाताओं की प्रस्तुतियों पर ध्यान देते हुए जवाबी दावा दायर करने की अनुमति मांगने के लिए आवश्यक आवेदन दायर करने की अनुमति दी, कि वे इस आधार पर इस तरह के आवेदन पर आपत्ति नहीं उठाएंगे कि मुद्दे पहले ही विरचित किए जा चुके हैं और दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए जा चुके हैं; और खंड पीठ ने विद्वान एकल न्यायाधीश से उम्मीद की कि वह अपने गुण-दोष के आधार पर इस तरह के आवेदन पर विचार करेगा।डिवीजन बेंच द्वारा इस प्रकार दी गई स्वतंत्रता के अनुसार, अपीलार्थी ने जवाबी दावे को रिकॉर्ड पर रखने की अनुमति के लिए आवेदन दायर किया और उसके समर्थन में, एक विस्तृत शपथपत्र दायर किया जिसमें विशिष्ट कारणों का उल्लेख किया गया था जिसके लिए जवाबी दावा दायर करने की मांग की गई थी, जिसमें शामिल हैं -

/

/

/

/

590

/

[2022] 16 एस सी आर।

कार्यवाही की बहुलता से बचने के लिए।अपीलार्थी ने इस तथ्य की ओर भी ध्यान दिलाया कि वह पहले संपत्ति के उत्तराधिकार से संबंधित विवाद में शामिल था, जिसे वर्ष 2017 में ही उसके पक्ष में सुलझा लिया गया था।विद्वान एकल न्यायाधीश ने दिनांक 1 का आदेश पारित करते समय अन्य पहलुओं पर अधिक विस्तार से नहीं बताया, लेकिन अपीलार्थी की प्रार्थना को स्वीकार करने का कारण बताया कि यह कार्यवाही की बहुलता से बच जाएगा; और वादी-उत्तरदाताओं के लिए पूरी

निष्पक्षता में, सीमा सहित अपने सभी बचाव को विशेष रूप से खुला रखा।दिनांक 1 का उक्त आदेश, भले ही अपीलार्थी द्वारा दायर आवेदन पर विचार करने के पहले ही दिन विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित किया गया हो, एक न्यायसंगत और उचित आदेश था जो मुकदमेबाजी की बहुलता से बचने के साथ-साथ कार्यवाही की उचित प्रगति के लिए अनुकूल था।डिवीजन बेंच द्वारा विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा इस प्रकार पारित आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई उचित कारण नहीं था।14.1.वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों की समग्रता में, हमारा स्पष्ट रूप से यह विचार है कि न तो आदेश VIII नियम 6-ए सी. पी. सी. या नियमों के नियम 95 की आवश्यकताएं और न ही अशोक कुमार कालरा (ऊपर) में प्रतिपादित और समझाया गया सिद्धांत, विलंबित रूप से दायर किए गए जवाबी दावे को रिकॉर्ड पर लेने के लिए अपीलार्थी की प्रार्थना पर रोक के रूप में काम करते हैं, जो वास्तव में मुद्दों को तैयार करने से पहले दायर किया गया था।

/

/

/

15. उपरोक्त के अलावा, कुछ अन्य कारण भी हैं, जिनके लिए हम खंड पीठ के आक्षेपित आदेश को पूरी तरह से अनुचित पाते हैं।

/

15.1.जैसा कि देखा गया है, दिनांक 1 के आदेश में, इस न्यायालय ने पक्षों की दलीलों पर ध्यान देते हुए त्वरित कार्यवाही का प्रावधान किया था और यह सुनिश्चित करते हुए कि भले ही अपीलकर्ता अपना अधिकार, अधिकार और हित तीसरे पक्ष को हस्तांतरित कर दे, ऐसे हस्तांतरणकर्ता आगे की दलीलें दायर करने की मांग नहीं करेंगे और प्रश्न मुकदमे की कार्यवाही से बाध्य रहेंगे।उस संदर्भ में, यह प्रावधान किया गया था कि प्रस्तावित खरीदारों को मुकदमे में शामिल किया जाएगा और उनका वचन पत्र भी दर्ज किया गया था कि वे अपीलार्थी द्वारा दायर लिखित बयान और जवाबी दावे को अपनाएंगे और आगे लिखित बयान या स्वतंत्र लिखित बयान दाखिल करने के लिए कोई अनुरोध नहीं करेंगे।इस न्यायालय ने आगे प्रावधान किया कि मुकदमा उस चरण से आगे बढ़ेगा जहां यह लंबित था और प्रस्तावित खरीदार स्वतंत्र साक्ष्य/दस्तावेज दाखिल करने के लिए कोई आवेदन नहीं करेंगे।

/

/

15.2.यह सच है, जैसा कि प्रत्यर्थियों की ओर से तर्क दिया गया है, कि इस न्यायालय के समक्ष उक्त एसएलपी का विषय प्रस्ताव ए का था।

/

महेश गोविंदजी त्रिवेदी बनाम बकुल मंगलाल व्यास और ओआरएस। [दिनेश माहेश्वरी, जे.] ए.

अपीलार्थी की वाद संपत्ति को किसी तीसरे पक्ष को हस्तांतरित करने के लिए और प्रति-दावा दायर करने की अनुमति के संबंध में नहीं, बल्कि केवल इसी कारण से, इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश के सार और प्रभाव को कम नहीं किया गया है।यहां तक कि जब उक्त एस. एल. पी. की विषय वस्तु किसी तीसरे पक्ष को वाद संपत्ति हस्तांतरित करने के अपीलार्थी के प्रस्ताव से संबंधित है और यहां तक कि जब दिनांकित आदेश द्वारा प्रदान की गई व्यवस्था अनिवार्य रूप से प्रतिवादी-अपीलार्थी और संभावित हस्तांतरणियों से संबंधित थी, तब भी मामले का तथ्य यह है कि उक्त आदेश वादी-प्रत्यर्थियों की उपस्थिति में पारित किया गया था, जिनकी अपीलार्थी के कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा भविष्य में संभावित दावों के बारे में एक अलग प्रकृति की आशंका पर भी अपीलार्थी की ओर से उसके जवाब के साथ ध्यान दिया गया था।इसके बाद इस न्यायालय ने त्वरित कार्यवाही की आवश्यकताओं पर फिर से जोर दिया।

/

/

15.3.जब इसके सार और सार के आधार पर समझा जाता है, तो अभिवचनों से संबंधित प्रक्रियात्मक पहलू पर दिनांक 1 के उक्त आदेश का प्रभाव स्पष्ट रूप से रहा है कि अभिलेख पर प्रति-दावे के अस्तित्व को इस न्यायालय द्वारा एक उचित परिपूर्ति के रूप में लिया गया था; और इस आदेश ने मौजूदा अभिवचनों को परेशान करने के लिए थोड़ी, बल्कि शून्य, गुंजाइश छोड़ी। उम्मीद की जा रही थी कि जवाबी दावे के साथ मुकदमे की कार्यवाही को दिए गए चरण से आगे बढ़ाया जाएगा।

/

15.4.दिनांक 1 के आक्षेपित आदेश की समझ पर, हम यह देखने के लिए प्रेरित होते हैं कि जब इस न्यायालय का दिनांक 2 का आदेश उसके समक्ष रखा गया था, तब भी उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने इसके उद्देश्य और अर्थ के साथ-साथ वाद की कार्यवाही और जवाबी दावा दायर करने के प्रश्न पर इसके प्रभाव पर भी विचार नहीं किया।इस न्यायालय के दिनांक 26.02.2021 के उक्त आदेश के बाद जवाबी दावा दायर करने से संबंधित प्रश्न को फिर से खोलने का कोई कारण नहीं था।

/

/

16. उपरोक्त के अलावा, जिस तारीख को खंड पीठ ने दिनांक 1 के आदेश अपास्त करते हुए के प्रश्न मुकदमे की कार्यवाही को बाधित करने का फैसला किया था, उस तारीख को बहुत प्रगति हुई थी, जिसमें वादी द्वारा इस तरह के प्रति-दावे के लिए लिखित बयान दाखिल करना; प्रति-दावे पर मुद्दों को तैयार करना; और वादी के साक्ष्य को दर्ज करना शामिल था।इसके अलावा, उच्च न्यायालय की खंड पीठ और इस न्यायालय द्वारा पारित पहले के आदेशों को देखते हुए सभी संबंधितों द्वारा त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित करने की आवश्यकता थी।

/

16.1.इस संबंध में, यह प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने दिनांक 30.11.2021 का आक्षेपित आदेश पारित करते हुए, की गई प्रार्थना पर पुनर्विचार करने का निर्देश देते हुए सरसरी तरीके से आगे बढ़े।

/

अपीलार्थी ने वाद अंतर्गत कार्यवाही के प्रासंगिक पहलुओं और उस पर लागू विधि पर विचार किए बिना और कार्यवाही पर अपने आदेश के संभावित प्रभाव पर विचार किए बिना, जो पहले से ही हो चुकी थी और जो प्रगति पर थी, प्रति-दावा को रिकॉर्ड पर लेने के लिए।किसी भी कोण से देखने पर, आक्षेपित आदेश को अलग रखा जाना चाहिए।

/

17. पारित करने में, हम देख सकते हैं कि अपीलार्थी की ओर से तर्कों का एक छोटा सा खंड दिनांकित 02.05.2019 के आदेश के खिलाफ अंतर-न्यायालय अपील की स्थिरता के बारे में भी था, क्योंकि कोई मूल्यवान अधिकार तय नहीं किए गए थे, जिसका उत्तरदाताओं की ओर से विधिवत विरोध किया गया था।तथापि, वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए इस अपील में इस पहलू पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है, जहां खंड पीठ के आक्षेपित आदेश को उसके गुण-दोष के आधार पर अनुमोदित नहीं किया जा रहा है।अन्य प्रश्नों को खुला छोड़ दिया जाता है, जिनकी उचित मामले में जांच की जाती है।

/

18. अलग होने से पहले, हम यह भी देख सकते हैं कि प्रस्तुतियों के दौरान, हमारे सामने यह इंगित किया गया है कि विषय मुकदमा प्रतिवादी के साक्ष्य में आगे बढ़ रहा है, विशेष रूप से इस न्यायालय

द्वारा दिनांकित आदेश द्वारा दिनांकित आदेश के संचालन और प्रभाव पर रोक आक्षेपित बाद। पिछले आदेशों में जो पहले ही देखा जा चुका है, उसे दोहराने की आवश्यकता नहीं है कि पक्षकारों से मुकदमे के शीघ्र निपटारे के लिए पूर्ण सहयोग देने की अपेक्षा की जाएगी।

/

/

19. परिणामस्वरूप, यह अपील सफल होती है और इसकी अनुमति दी जाती है; उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा पारित दिनांकित 30.11.2021 के आक्षेपित आदेश को दरकिनार कर दिया जाता है; और विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांकित 02.05.2019 के आदेश को बहाल कर दिया जाता है।व्यय सम्बन्धी कोई आदेश नहीं।

/

दिव्या पांडे

अपील अनुज्ञात ।

(सहायकः रूपांशी विरंग, एलसीआरए)

/

/